तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेश गहलोत बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 178/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेश गहलोत, पता गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08.19 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय पत्र कमांक 4963/20.02.2002 एवं 4962/20.02.2002 जो मण्डोर पटवार मंडल के खसरा नम्बर 1893 मं से 14 बीघा भूमि आयुर्वेदिक महाविद्यालय हेतु आवंटन कार्यवाही की गई, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली मय नगर सुधार न्यास को हस्तान्तरण, मौका रिपोर्ट, नक्शा सहित एवं उक्त संस्थान को आवंटित चैनपुरा पटवार मंडल के खसरा संख्या 522, 524, 525 की सम्पूर्ण पत्रावली मय सत्सापित दस्तावेज, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर)/प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 11:24:59 IST
Reason: SelfAttested